

प्र.का./ अग्रिम / परिपत्र / 06 / 2025-26 / 2.5

दिनांक : 29.04.2025

सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को परिपत्र

प्रधान कार्यालय के अग्रिम विभाग द्वारा जारी

## विषय: समामेलन उपरांत ऋण प्रलेखों के निष्पादन के सम्बन्ध में

आप अवगत हैं कि Amalgamation Notification के निर्देशानुसार दिनांक 01.05.2025 से बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक का समामेलन हो जायेगा एवं बैंक की समस्त शाखाएं एवं कार्यालय 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के नाम से कार्य करना प्रारम्भ करेंगी।

समामेलन उपरांत नये ऋण वितरण करते समय/ समीक्षा अथवा नवीनीकरण के समय समस्त प्रलेख नवीन इकाई 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के नाम से निष्पादित किये जायेंगे | 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के नाम से प्रलेख मुद्रित न होने तक उपलब्ध प्रलेखों के साथ "Rider Clause Declaration" लिया जायेगा, जिसका प्रारुप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः समस्त शाखाओं/कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.05.2025 से ऋण प्रलेखों के साथ संलग्न प्रारुप पर ऋणी/ऋणियों एवं/अथवा जमानतदार/जमानतदारों के हस्ताक्षर प्राप्त करें एवं ऋण पत्रावली में प्रलेखों के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखें।

उपरोक्त को ध्यानपूर्वक नोट करें एवं अनुवर्ती कार्यवाही करें।

भवदीय

(मोहन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक,

संलग्र:**यथोपरी** 

प्रधान कार्यालय : बृद्ध विहार व्यवसायिक गोतना नामान्त्र सेरापान ०००००

## **Uttar Pradesh Gramin Bank**

Branch:	***************************************
District:	***************************************

## The Rider Clause

Notwithstanding anything contained in the documents signed/executed by the undersigned in the name of Baroda U.P. Bank hereby stands changed as UTTAR PRADESH GRAMIN BANK by virtue of the amalgamation notification C.G.-D.L.-A.-07042025-262329 dated 07.04.2025 and that I/We waive all rights in dispute against the said change in the name and the BANK shall mean and include its successors, assigns and executors as the case may be is UTTAR PRADESH GRAMIN BANK.

Date :		Signature
	ä	Borrower(s)
		***************************************
	α ×	
		Guarantor(s)